न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 152/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00185

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार तहसीलदार रानी	जरिये	1. प्रेमदास पुत्र हेमदास 2. सोनी पत्नी हेमदास 3. मुली पुत्री हेमदास 4. लीला पुत्री हेमदास 5. सेसूदास पुत्र कनीराम के का.मु.– 5.1 रणछोडदास पुत्र सेसूदास 5.2 मुलदास पुत्र सेसूदास 5.3 प्रभुदास पुत्र सेसूदास 5.4 हरकुदेवी पुत्री सेसूदास 6. लालदास पुत्र कनीराम 7. किशोर दास पुत्र भोलाराम 8. रतनदास पुत्र भोलाराम 9. मगनी पुत्री भोलाराम 10. पुष्करदास पुत्र हिम्मतराम 11. पोनी पत्नी हिम्मतराम, समस्त जातिगण साद निवासीगण सांवलता, तहसील रानी जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04/11/2025

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/3 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गुडा मेघसिंह पटवार मण्डल सांवलता की मिसल

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बन्दोबस्त सम्वत् 2009–28 के अनुसार गत खसरा संख्या 25 किस्म गै.मु.नाड़ी थी, जिसके हाल खसरा संख्या 79 रकबा 0.92 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.10.1977 के द्वारा उक्त भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया। वक्त आवंटन जैर आराजी कि किस्म गैर मुमकिन नाडी थी। ग्राम गुडा मेघसिंह के खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2025 के अनुसार जैर आराजी किस्म गैर मुमकिन नाडी थी और कब्जा गैरमुमकीन जागीर (धुम्बा) नाडी अंकित है। जैर आराजी के संबंध में आंवटन/नियमन आदेश की पालना में आवंटी हेमदास, भोलाराम, सेसुदास, हिम्मतराम, लालदास पि कनीराम कौम साद के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 15.11.1977 भर गया। बाद भोलाराम एंव हिम्मताराम के फौत होने से उनके वारिसान एवं पूर्व शेष खातेदार बदस्तुर के नाम नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 21.06.1989 स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार जैर आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.10.1977 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 15.11.1977 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 21.06.1989, नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.06.2015 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नाड़ा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपजाऊ बनाया, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नाड़ी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम गुडा मेघसिंह, तहसील रानी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2009–28 के अनुसार खसरा संख्या 25 रकबा 0.92 किस्म गै.मु. नाडी पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम गुडा मेघसिंह तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063, 2068–2071 के अनुसार खसरा संख्या 79 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 79 के पुराना खसरा संख्या 25 है तथा ग्राम गुडा मेघसिंह की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार खसरा संख्या 25 की किस्म गैर मुमकीन अंकित है तथा कब्जे के रूप में गैरमुमकीन जागीर (धूम्बा) नाडी अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों अनुसार दिनांक 15.08.1974 के समय खसरा संख्या 25 की किस्म नाड़ी दर्ज थी। आवंटन कमेटी के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.10.1977 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 15.11.1977 के द्वारा जैर आराजी में हेमदास, भोलाराम, सेसुदास, हिम्मतराम, लालदास पि कनीराम कौम साद सांवलता को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। जैर आराजी के खातेदार भोलाराम एंव हिम्मतराम के फौत हो जाने से उनकी फौतेदगी नामान्तरकरण 8 दिनांक 21.06.1989 भरा गया तथा विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.06.2015 के अनुसार हेमदास पुत्र कनीराम के स्थान पर प्रेमदास पुत्र हेमदास, सोनी पत्नी हेमदास, मुली, लीला पुत्रीयां हेमदास दर्ज किया गया, शेष खाता बदस्तूर रहा। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नाडी दर्ज थी, जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के पुर्वज़ के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध प्रतीत होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 79 के पुराना खसरा संख्या 25 है तथा ग्राम गुडा मेघसिंह की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार खसरा संख्या 25 की किस्म गैर मुमकीन अंकित है। तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.10.1977 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 15.11.1977 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 21.06.1989, नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.06.2015 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.10.1977 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 15.11.1977 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 21.06.1989, नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.06.2015 को अपास्त करते हुए जैर आराजी को पुनः नाडी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली